—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 12/12/25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आरटीए रास्ता स्वीकृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि प्रार्थी के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 18 जेआरके के खाता सं. 23 के प.नं. 45/258 के किला नं. 4 ता 6 की कुल 0.759 है. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

श्यह किं अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 18 जेआरके के खाता सं. 96 के प.नं. 45/258 के किला नं. 15/2/.2116 हैक, नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 18 जेआरके के खाता सं. 11 के प.नं. 45/258 के किला नं. 15/1, 16/1, 16/2, 1713, 1714 कुल 0रू4564 हैक. नहरी म.गै.मु. रास्ता मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि को वर्तमान में प.नं. 45/258 के किला नं. 25/21.025 हैक. स्वीकृत शुदा रास्ता जो गांव की आबादी भूमि की फिरनी से अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि प्रार्थी के दक्षिणी दिशा मे स्वीकृत रास्ता से किला नं. 16/1, 15/1, 15/2 मे से होता हुआ अपनी कृषि भूमि मे आवगमन करता है वर्तमान मे उक्त रास्ता चालू है लेकिन कानूनन उक्त रास्ता ज्यादा दूरी का होने के कारण से स्वीकृत शुदा रास्ता किला नं. 25/21.025, 16/2/.007 मे

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:33:34 IST
Reason: SelfAttested

से प्रार्थी को नजदीक एवं सरल रास्ता किला नं. 15/1, 15/2 लगता है। किला नं. 16/2/.007 रास्ता के समीप ही आवासीय ढ़ाणी का निर्माण किया हुआ जिसके कारण से उक्त रास्ता से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे कृषि औजार एवं संयत्र इत्यादि नही ले जा सकता है इसलिए प्रार्थी की सुविधा को देखते हुये वैकल्पिक एवं चालू रास्ता प.नं. 45/258 के किला नं. 16/1/.025, 15/1/004, 15/2/021 बैजानिव पूर्वी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे अन्यथा प.नं. 45/258 के किला नं. 16/2/.018, 15/1/.004, 15/2/.021 बैजानिव पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी के पास उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीक, सरल एवं वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः प्रार्थी की कृषि भूमि के लिए माननीय न्यायालय जो उचित समझे रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा प्रार्थी स्वीकृत होने वाले रास्ता के एवज मे डीएलसी दर से दौगुणी राशि अप्रार्थीगण को देने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि चक 18 जेआरके के खाता सं. 23 के प.नं. 45/258 के किला नं. 4 ता 6 की कुल 0.759 हैक. के लिए अप्रार्थी सं. 1–2 की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री चानण राम अधिवक्ता हाजिर राजीनामा प्रार्थी/प्रथम पक्ष अप्रार्थीगण स. 1 व 2 की ओर से स्वयम् हाजिर होकर प्रस्तुत किया गया है तथ्य इस प्रकार से है कि –यह कि उक्त अनवान प्रार्थना पत्र में रास्ता स्वीकृति हेतू प्रार्थी/प्रथम पक्ष गिरधारीलाल द्वारा अपनी कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 18 जेआरके के खाता स.23 के प.न. 45/258 के किला न.4 ता 6 की कुल 0.759 हैक. नहरी कृषि भूमि में आने–जाने हेतू प. न. 45/258 के किला न. 15/1/0004, 15/2/0.021, 16/1/0.025 हैक. पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृति हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थी/प्रथम पक्ष व प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी स. 2 द्वारा प्रस्तुत होकर प.न. 45/258 के किला न. 16/2/0.018 कुल 0.018 हैक. पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृति हेतु राजीनामा प्रस्तुत किया जा रहा है व रास्ता मौका पर चालू है, जिससे प्रार्थी/प्रथम पक्ष आना–जाना करता चला आ रहा है जिसमें प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार की कोई बाधा नही है। जो कि प्रार्थी/प्रथम पक्ष अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित भूमि जो प्रार्थी/प्रथम पक्ष के नाम है के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है व प्रार्थी/प्रथम पक्ष गिरधारीलाल द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थी स.2/द्वितीय पक्ष कालुराम को उक्त कृषि भूमि अपने प. न. 45/258 के किला न. 16/2/0. 018 के बदले प्रार्थी/प्रथम पक्ष ने अप्रार्थी स.2/द्वितीय पक्ष कालुराम को डी.एल.सी. की दुगुनी राशि अदा कर दी है। इसी अनुसार पक्षकारान राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने व कृषि भूमि देने हेतू पूर्णतः सहमत व रजामन्द है व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी से राजीनामा कर लिया है जिसके तहत अप्रार्थी संख[illegible] भूमि प.न. 45/258 में किला न. 15/2 में 0.018 है. रास्ता स्वीकृत कर [illegible] प्रार्थी के किला न. 15 के चिपती हुई 0.018 है. दर्ज करने पर जमीन के बदले [illegible] देने पर सहमति व्यक्त की गई है राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उक्त अनवान की पत्रावली को मुताबिक राजीनामा फैसला करने की कृपा करें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंग।

Signature Not Verified
Digitally signed by: Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:33:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 829 दिनांक 28.11.25 से प्राप्त की गई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। पूर्व में कोई स्वीकृत शुदा रास्ता प्रार्थी की भूमि को लगता नहीं है। न्यूनतम दूरी का रास्ता किला न. 16 में नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। किला न 16 में 0.007 गै.मु. रास्ता तरमीम तहसील ऑनलाईन के समय सहवन से भू–नक्शा में तरमीम मौका पर नहीं हुई है व गैर मु. रास्ते में मौके पर उतर दिशा में मकान बने हुए है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

आदेश

बहस अधिवक्ता उभ्य पक्ष सुनी बहस में अधिवक्ता उभ्य पक्ष ने राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। राजीनामा का गहन अध्ययन किया गया। चुंकि उभ्य पक्ष के मध्य रास्ता हेतु सहमति हो गई है इस लिए लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि अप्रार्थी स.1 व 2 के नाम चक।8 जेआरके के प. न. 45/258 मु.न. 41 के किला न. 15/2/.018, 16/1/.018 है. में रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

स्वीकृत रास्ते के प्रतिकर के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी के किला न. 6 में से अप्रार्थी के किला न. 15 के चिपती हुई 0.018 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने रास्ते की एवज में डीएलसी की दूगनी राशि प्रतिकर के रूप में पूर्व में प्राप्त कर ली है। तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, की दशा में आदेशों की पालाना में राजस्व रिकार्ड अमलदरामद करे।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा (हनुमानगढ़)

(उमा मित्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:33:34 IST
Reason: SelfAttested